

असाधारण

EXTRAORDINARY

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 362]	दिल्ली, शुक्रवार, सितम्बर 29, 2017/आश्विन 7, 1939	[रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 272
No. 362]	DELHI, FRIDAY, SEPTEMBER 29, 2017/ASVINA 7, 1939	[N.C.T.D. No. 272

भाग—IV PART—IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार

GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

वित्त (राजस्व-1) विभाग

अधिसूचना

दिल्ली, 27 सितम्बर, 2017

सं. 28/2017-राज्य कर

सं. फा. 3(28)/वित्त (राज-1)/2017-18/डीएस-VI/631.—दिल्ली माल एवं सेवाकर अधिनियम, 2017 (2017 का 3) की धारा 128 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल, परिषद् की सिफारिशों पर, उन सभी रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों के लिए, जो नियत तारीख तक जुलाई, 2017 मास के लिए प्ररूप जीएसटी आर-3ख में विवरणी देने में असफल रहे हैं, उक्त अधिनियम की धारा 47 के अधीन संदेय विलंब फीस का अधित्यजन करती है।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल के आदेश से तथा उनके नाम पर.

ए. के. सिंह, उप सचिव-VI (वित्त)

5954 DG/2017 (1)

FINANCE (REVENUE-1) DEPARTMENT

NOTIFICATION

Delhi, the 27th September, 2017

No. 28/2017-State Tax

No. F. 3(28)/Fin(Rev-I)/2017-18/DS-VI/631.—In exercise of the powers conferred by section 128 of the Delhi Goods and Services Tax Act, 2017 (Delhi Act 03 of 2017), the Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi, on the recommendations of the Council, hereby waives the late fee payable under section 47 of the said Act, for all registered persons who failed to furnish the return in FORM GSTR-3B for the month of July, 2017 by the due date.

By Order and in the Name of the Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi,

A. K. SINGH, Dy. Secy. VI (Finance)